[2021] 5 एस. सी. आर 1

मलाप्पा

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील सं. 1993/ 2010)

07 मई, 2021

[एन. वी. रमना, मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशगण सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस]

दंड संहिता, 1860 - हत्या - धारा 302-हत्या-मृतक पर कथित तौर पर एक डंडा के साथ हमला किया गया था- अभियोजन का मामला मुख्य रूप से अ. सा. 5 (मृतक की पत्नी) सबूतों के आधार पर -विचारण न्यायालय ने आरोपी-अपीलार्थी के साथ-साथ सह-अभियुक्त को भी बरी कर दिया-अपीलार्थी की दोषमुक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा पलटा गया - अपीलार्थी की दोषसिद्धि को चुनौती दी गई द्वारा उलट दिया गया-अभिनिर्धारितः तथ्यों पर, अ.सा.5 के बयान पर संपूर्णता में भरोसा नहीं किया जा सकता- अपीलार्थी को घटना स्थल पर देखे जाने संबंधी अ.सा.5 के बयान में विरोधाभास हैं - पी डब्ल्यू 5 वास्तविक हमले का साक्षी नहीं थी- साक्षी के रूप में उसका बयान विश्वासोत्पादक नहीं है -यह प्रदर्शित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है कि जब्त किए गए डंडा का उपयोग मृतक पर हमला करने के लिए किया गया था-डंडा-हमले का हथियार द्वारा अपराध करने का सबूत की खोज का परिस्थितिजन्य साक्ष्य- स्वीकार्य नहीं-भले ही अभियोजन पक्ष का मामला कि अभियुक्तों को अ.सा. द्वारा देखा गया था, स्वीकार किया जाता है, लेकिन यह धारा 302 आई. पी. सी. के तहत 'रेस गेस्टे' के सिद्धांत को लागू करते हुए-अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए बहुत हल्का सबूत होगा। तथ्यों की पहली न्यायालय (विचारण न्यायालय) ने साक्ष्य के मूल्यांकन पर अपीलार्थी को बरी कर दिया था-इस प्रकार इसकी तार्किकता में कोई बड़ी कमी नहीं थी कि जो विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने के निर्णय और निष्कर्ष को उलटने के लिए अपील न्यायालय (उच्च न्यायालय) द्वारा हस्तक्षेप

की गारंटी देता। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषमुक्ति को तदनुसार बहाल रखा गया |

साक्ष्य-अभियुक्त को देखे जाने की संभाव्यता -हत्या मामले की प्रासंगिकता- तीन अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्तों को एक ही स्थान पर उस स्थान से भागते हुए देखा है, -अभिनिर्धारित किया गया- इस बात के प्रमाण कि क्या वह स्थान उन स्थानों से दिखाई दे रहा था जहाँ अभियोजन साक्षी उस विशिष्ट समय पर थे, को अप्रासंगिक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है।

साक्ष्य-रेस गेस्टे (किया गया कार्य और सम्बंधित तथ्य) हत्या मामला- तीन अ.सा. ने अभियुक्त-अपीलार्थी और सह-अभियुक्त को घटना स्थल से भागते समय एक ही स्थान पर देखा था-अभिनिर्धारित किया --तथ्यों पर, यदि अभियोजन साक्षियों ने दो अभियुक्तों को भागते हुए देखा भी था तो रेस गेस्टे का सिद्धांत लागू करते हुए अपीलार्थी को धारा 302 के तहत दोषसिद्ध करने के लिए यह ठोस साक्ष्य नहीं था- सिद्धांत - रेस गेस्टे/रेस गेस्टे का सिद्धांत

साक्ष्य- परिस्थितिजन्य साक्ष्य- हत्या के हथियार की खोज - हत्या- हत्या कथित रूप से डंडे से हमला करके की गई- डंडे की जब्ती - उसका प्रभाव और प्रासंगिकता - अभिनिर्धारित किया गया- डंडा ग्रामीण घरों में पाया जाने वाला बहुत ही साधारण सामान है - तथ्यों के आधार पर यह दिखाने के लिए ठोस साक्ष्य नहीं है कि इसी जब्त किये गए डंडे से हमला किया गया था- इस प्रकार, अभियोजन पक्ष की कहानी, डंडा की खोज- हत्या के हथियार की खोज के परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा अपराध को स्थापित करना चाहती है - स्वीकार्य नहीं है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया- मृतक की पत्नी, अ.सा.-5 के साक्ष्य को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अ.सा.-5 द्वारा अपीलार्थी को घटना स्थल पर देखे जाने सम्बन्धी बयान में विरोधाभास हैं । उसने अपनी जिरह में कहा कि जब तक उसने अभियुक्तों को देखा, वे देवेंद्रप्पा के घर के सामने थे। अ.सा.-3 और अ.सा.-6 ने भी यह साक्ष्य दिया था। अ.सा.-5 के विरोधाभासी बयानों इस बारे में कि उसने अपीलार्थी को कब और कहाँ देखा और क्या उसने उसे हमला करते देखा था, महत्वपूर्ण थे। अपने मुख्य परीक्षण में, उसने यह बयान दिया कि जब उसने 'ढप' की आवाज़ सुनकर अपनी आँखें खोलीं तो उसने अपीलार्थी को अपने पति के सिर

पर हमला करते हुए देखा, जबकि अपीलार्थी का बेटा उसके बगल में खड़ा था। लेकिन उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि जब तक वह जागी, तब तक चोट लग चुकी थी। उसने दावा किया कि उसने आरोपी को देवेंद्रप्पा के घर के सामने देखा था। उनकी प्रतिपरीक्षा में उनके बयान का यह हिस्सा अन्यथा प्रतिपरीक्षा में दिए गए उनके बाकी बयानों के साथ संगत था। इस परिप्रेक्ष्य में, केवल एक ही निष्कर्ष संभव था कि वह हमले के वास्तविक कृत्य की गवाह नहीं थी। वह मृतक पीड़ित की विधवा है और उसके बयान पर करुणा तत्व के साथ विचार किए जाने की हकदार है। लेकिन एक गवाह के रूप में, वह आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करती । [पैरा 9]

2. विचारण न्यायालय ने अ. सा -05 के बयानों पर विचार करते हुए पाया कि उसके घर से हुसैनम्मा और देवेंद्रप्पा के घर दिखाई नहीं दे सकते थे | अपीलार्थी की सम्भाव्य दृश्यता के बारे में तथ्य पाया गया था जोकि अभियोजन के अनुसार अपने बेटे के साथ भाग रहा था | उच्च न्यायालय तथ्य के इस निष्कर्ष को 'महत्वहीन ' और असंगत कहकर खारिज करने में उचित नहीं था | अ. सा -05 के विरोधाभासी बयान के कारण घटना की प्रत्यक्षदर्शी गवाह होने के बावजूद विश्वास नहीं किये जा सकते थे। अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार, अपीलार्थी की संलिप्तता, डंडा की खोज के अलावा, उपरोक्त तीन लोगों द्वारा उसी एक स्थान पर घटना स्थल से भागते समय उसे देखे जाने से प्रतीत होती है। 3 और 6 के इस बारे में साक्ष्य की क्या वह स्थान उनके उस समय वहां होने के समय से दिखाई दे सकता था, उन्हें अप्रासंगिक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता था। [पैरा 10,11]

3. जब्ती गवाह (अ.सा.-2) ने कहा कि डंडा टूटा नहीं था। अ.सा.-1 ने भी 20 अप्रैल, 1999 की सुबह घटना स्थल से पुलिस द्वारा बनाए गए पंचनामे में मौके पर ही बयान दिया था। उन्होंने डंडा के टूटे हुए टुकड़े को जब्त करने की भी बात नहीं की। अभियोजन पक्ष के इन दो गवाहों ने जांच अधिकारी अ.सा.-8 द्वारा अपनी जांच में दिए गए इस बयान का समर्थन नहीं किया कि अ.सा. ने लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को जब्त किया था। ऑटोप्सी सर्जन (अ.सा.-7) को वह डंडा नहीं दिखाया गया था। उनके बयान से ऐसा नहीं हुआ दिखाया गया था । डंडा एक सामान्य उपकरण है जो इस देश के ग्रामीण घरों में सामान्य रूप से पाया जा सकता है और इस बात के कि जब्त किए गए डंडा का उपयोग मृतक पर हमला करने के लिए किया गया था किसी भी ठोस सबूत के अभाव में अभियोजन पक्ष द्वारा हमले के

हथियार की खोज, परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा अपराध किया जाना स्थापित करने में विफल रही। [पैरा 12]

4. भले ही अभियोजन पक्ष का संस्करण कि अ.सा.-3, अ.सा.-5 और अ.सा.-6 ने अपीलार्थी को अपनी अपनी जगह से अपनी आँखों के सामने भागते हुए देखा हो, को सत्य मान लिया जाए तो न्यायालय के पास जो सबूत बचे होंगे, वे दो आरोपी व्यक्तियों को भागते हुए देखे जाने के होंगे। रेस गेस्टे के सिद्धांत को लागू करते हुए 302 आई. पी. सी. के तहत किसी को दोषी ठहराने के लिए यह बहुत हल्का सबूत होता। साक्ष्य के मूल्यांकन पर तथ्यों की पहली न्यायालय ने अपीलार्थी को बरी कर दिया था। इसके तर्क में कोई बड़ी कमी नहीं है जो इस तरह के निष्कर्ष को अपराध के रूप में बदलने के लिए अपील न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बरी करने के फैसले को तदनुसार कायम रखा गया है। [पैरा 13,14]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील सं. 1993/ 2010।

आपराधिक अपील संख्या 1232/2001 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.06.2008 के निर्णय और आदेश से।

एस. एन. भट, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

वी. एन. रघुपति, अधिवक्ता। प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अनिरुद्ध बोस,न्यायमूर्ति

1. अपीलार्थी (मल्लप्पा) पर 19-20 अप्रैल, 1999 की आधी रात के बाद अपने भाई एरप्पा की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। उसका बेटा वीरेश सह-अभियुक्त था। विचारण न्यायालय ने दोनों को भा. दं. सं. की (संक्षेप में सं.) धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत आरोपों से बरी कर दिया| कर्नाटक राज्य द्वारा बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मल्लप्पा के संबंध में विचारण न्यायालय के फैसले को अपास्त कर दिया और उन्हें संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वर्तमान अपील मल्लप्पा द्वारा 11 जून 2008 को पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ है। अभियोजन पक्ष का

मामला, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था, यह था कि अपीलार्थी (मुकदमे में अभियुक्त-1 और उसके बेटे वीरप्पा को अभियुक्त-2 के रूप में वर्णित किया गया था) ने मृतक एरप्पा पर एक डंडा से हमला किया था, जब वह कर्नाटक राज्य के अंदर सिंधनूर तालुक के सिदरामपुर गांव में अपने घर के "अंगला" (आंगन) में सो रहा था।

2. अपीलार्थी और मृतक पीड़ित के बीच कुछ अचल संपत्तियों और नहर के पानी के बंटवारे को लेकर पिछला विवाद था, जिसे अभियोजन द्वारा अपराध के उद्देश्य के रूप में पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष के गवाह मल्लप्पा बनाम के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि जब हमला हुआ तब मृतक पीड़ित अपनी पत्नी बसम्मा (अ. सा. 5) से थोड़ी दूरी पर अपनी दो बेटियों के साथ अपने घर के सामने सो रहा था। उसकी पत्नी और मृतक की बेटी की चीखने की आवाज सुनकर शिवरायप्पा (अ. सा. 3), मृतक का एक और भाई जाग गया और दोनों अभियुक्तों को भागते देखा। अ. सा. 3 के साक्ष्य के अनुसार, वह उस समय ' अंगाला ' में उस स्थान से लगभग 10' दूर जहाँ मृतक सो रहा था, अपने घर के बाहर सो रहा था। । हम इस स्थान को घटना स्थल (पी. ओ.) के रूप में वर्णित करेंगे। उस पी. ओ. पर पहुँचने पर जहाँ मृतक सो रहा था, उसने पाया कि उसकी नाक और कान से खून बह रहा था। फिर, वह अपनी बहन के पति अ. सा. 1 के घर गया, जिसका नाम भी एरप्पा है। अ. सा. 1 के घर से, वह गया और स्थानीय डॉक्टर, मल्लिकार्जुन (अ. सा. 4) को पी. ओ. के पास ले आया। मृतक की जांच करने पर उसने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अ. सा. 1, अ. सा. 3 और एक बसप्पा ने एक जीप की व्यवस्था की और घटना की सूचना देने के लिए सिंधनूर पुलिस स्टेशन चले गए। । सना हसन साब (अ.सा.. 8) के बयान से, जिसने उस पुलिस स्टेशन में पी. एस. आई. के रूप में शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर एफ. आई. आर. दर्ज किया गया था, यह पता चलता है कि वे 20 अप्रैल, 1999 को सुबह लगभग 4 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे थे।

3. ऑटोप्सी सर्जन डॉ. वेंकटेश वाई. (अ.सा.-7) का साक्ष्य यह है कि ईयरप्पा की मृत्यु इंट्रा-क्रेनियल रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई थी। उन्हें एक बाहरी चोट मिली, जो कि दाहिने ओसीपीटल प्रोट्यूबरेंस 3 x 1⁄2 "पर एक रिसा हुआ घाव था। उनकी राय, जैसा कि उनकी मुख्य परीक्षा से पता चलता है, यह थी कि ऐसी चोट लोहे की छड़ या लाठी से हो सकती है। लेकिन प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कठोर सतह पर नीचे की ओर गिरता है, तो ऐसी चोट संभव है।

4. अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से अ.सा.-5 के साक्ष्य पर बनाया गया था, जिसे एक चश्मदीद गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया था और अ.सा.-3 और भोगप्पा (अ.सा.-6), दोनों ने घटना के बाद के गवाहों के रूप में साक्ष्य दिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपीलार्थी को भागते देखा था और जिस स्थान पर उन्होंने अपीलार्थी को देखा वह जीरल देवेंद्रप्पा के घर के सामने था। अ. सा. 5 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा था कि उसने अभियुक्त -1 को अपने मृत पति के सिर पर हमला करते देखा था। हालाँकि, अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने देवेंद्रप्पा के घर के पास आरोपी व्यक्ति को देखने का एक अलग संस्करण दिया। हम आगामी पैराग्राफ में उसके साक्ष्य के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे।

दूसरा कारक जिसके द्वारा अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ अपने मामले को स्थापित करने की ईप्सा की है, वह था आरोपी के घर से हमले के हथियार-डंडा की बरामदगी। जांच करने वाले अ.सा.-8 ने अपने बयान में कहा कि उसने घटना स्थल से लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को कुछ अन्य सामान के साथ जब्त किया था-बरखा, तकिया (दर्ज किए गए बयान में '*pillo*' लिखा हुआ), जामखाना, खून से सना मिट्टी और साधारण मिट्टी का नमूना। यह महाज़ार में परिलक्षित हुआ। डंडा को मैटेरियल ऑब्जेक्ट (एम. ओ.) 6 बनाया गया है जबकि लकड़ी के छोटे टुकड़े को एम. ओ. 10 चिह्नित किया गया था।

5. बसम्मा (अ.सा.-5) ने अपनी जाँच में कहा था कि 19-20 अप्रैल, 1999 की आधी रात के बाद उन्होंने एक 'ढप' की आवाज़ सुनी थी| ऐसा लगता है कि उन्होंने गिरने की आवाज को शब्द दे दिए हैं | उसने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि कि होन्नाप्पा और नागराज, उनके बेटे, अपने पति के साथ सो रहे थे। ऐसी आवाज सुनकर वह चिल्लाई और आंखें खोलीं। उसने अपीलार्थी मल्लप्पा को अपने पति के सिर पर हमला करते हुए देखा और उसके पीछे वीरप्पा (ए-2) खड़ा था। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा कि होन्नाप्पा उस दिन उनके साथ नहीं सो रहा था, क्योंकि वह सिंधनूर में था। उनकी बेटियाँ एरम्मा और गंगम्मा उनके साथ सो रही थीं। अभियुक्तों के देखे जाने के संबंध में, प्रति परीक्षा में उनका भिन्न संस्करण यह था कि जब तक वह जागी और अपने पति को देखा, तब तक चोटें लग चुकी थीं। उसने आरोपी को देवेंद्रप्पा के घर के पास भागते देखा। अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के घर पर जब्त किए गए लकड़ी के टुकड़े का एक टूटे हुए टुकड़े से, जिसके बारे में पुलिस ने अपराध स्थल से जब्त करने का दावा किया था, मिलान करके डंडा को हमले के हथियार के रूप में स्थापित करने की मांग की।

6. अ.सा.-2 श्रीनिवास, जिसे जाँच के समय के आसपास वस्तुओं की जब्ती के गवाह के रूप में पेश किया गया था, ने कहाः

" ..... घटनास्थल से पुलिस ने खून से सना मिट्टी, बरखा, पिल्लो और एक जामखाना एकत्र किया और उसे जब्त कर लिया। एक विरुपन्ना मेरे साथ महाजार स्थल पर हस्ताक्षर किए। Ex. पी. 2 स्पॉट महाजार है। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। एम. ओ. 1 बरखा, एम. ओ. 2 पिल्लो और एम. ओ. 3 जामखाना है। एम. ओ. 4 खून से सना हुआ मिट्टी है। एम. ओ. 5 सादा मिटटी का नमूना है जिसे भी घटनास्थल से एकत्र किया गया था।

2. आगे , अभियुक्त - 1 के घर से, रसोई में आगे आते हुए चूल्हे के पास से पुलिस ने खून के धब्बों से भरे एक डंडा को जब्त कर लिया। प्रदर्श पी. 3 डंडा की जब्ती का महज़ार है। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। एम. ओ. 6 डंडा माल्लापपा बनाम है। ए. 1 का बेटा ए. 2 भी उपस्थित था। अन्य महिलाएँ भी उपस्थित है। प्रदर्श पी -3 डंडा का जब्ती पत्रक है। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

(शब्दशः उद्धृत)

इसके अलावा, अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उन्होंने यह भी कहा थाः

" जब मैं वहाँ गया तो पी. एस. आई. ने मुझे मौके पर बताया कि पंचनामा बनाया गया है , जहाँ मृतक की मृत्यु हो गई और इस तरह मैंने उस पर हस्ताक्षर किए और मैं नहीं जानता कि वह महज़ार किस उद्देश्य से बनाया गया था। मौके पर तीन पंचनामे बनाये गए थे। मौके पर मैंने स्वयं सभी पंचनामों पर हस्ताक्षर किए। पुलिस पहले ही उन पंचनामों में लिख चुकी थी । मुझे नहीं पता कि इन सब में क्या लिखा है।

(शब्दशः उद्धृत)

अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने विशेष रूप से यह भी कहा था कि डंडा नहीं टूटा था।

7. विचारण न्यायालय ने पाया कि अ.सा.-3 और अ.सा.-5 ने अभियोजन पक्ष के मामले में सुधार किया है, जो पुलिस के सामने नहीं बताया गया था।विचारण न्यायाधीश ने पाया कि अ.सा.-3 और अ.सा.-5 के साक्ष्य अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और अभियोजन पक्ष की कहानी से मेल नहीं खाते हैं। वह मृतक पीड़ित एरप्पा के हमले और हत्या की अभियोजन पक्ष की कहानी से आश्वस्त नहीं था और दोनों आरोपी

व्यक्तियों को बरी कर दिया। विचारण न्यायालय के फैसले के पीछे अन्य कारक यह थे कि देवेंद्रप्पा का घर घटना के स्थान से दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा, हमले का हथियार शव परीक्षण सर्जन के सामने पेश नहीं किया गया था और इसे किसी भी विशेषज्ञ को यह राय प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा गया था कि क्या एम. ओ.-6 और एम. ओ.-10 एक ही डंडा आपस में मेल खाते हैं की वे एक ही डंडे के भाग हैं |

8. राज्य द्वारा अपील में, उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 9.अ.सा.3 और अ.सा.6 के साक्ष्य से पता चलता है कि हुसैनम्मा और जीरल देवेंद्रप्पा के घर साथ-साथ हैं और उन्होंने बताया कि उनके घर से उक्त घर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जीरल देवेंद्रप्पा का घर अ. सा. 3 और अ. सा. 6 के घर से दिखाई देता है अथवा नहीं, इसका कोई महत्व और प्रासंगिकता नहीं है। उक्त साक्ष्य की इस प्रभाव से व्याख्या नहीं की जा सकती कि जीरल देवेंद्रप्पा का घर अ. सा. 5 के घर से दिखाई नहीं देता है।

। इसलिए, अ.सा.5 की गवाही को अस्वीकार करने के लिए कोई कारण नहीं है जिसका प्रभाव यह है कि जिसका आशय यह था कि उसने अभियुक्तों को जीरल देवेंद्रप्पा के घर के पास से जाते हुए देखा था।

10. अभियोजन पक्ष ने अपराध को करने के उद्देश्य को स्थापित किया है। अ.सा.5 का साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय है। यह हो सकता है कि अ.सा.5 के साक्ष्य से पता चलता है कि 2 प्रहार किए गए थे। वहाँ सिर में केवल एक चोट लगी है। यह संभव है कि दोनों प्रहारों को सर के उसी भाग में किया हुआ होगा जिससे सर में केवल एक चोट आई हो सकती है।

11.अ.सा.5 का कहना है कि यह अभियुक्त -1 था जिसने प्रहार किया और भाग गया। वह बताती है कि अभियुक्त -2 भी भाग गया। अ.सा.2 ने अभियुक्त -2 को कोई भी स्पष्ट कार्य करते हुए देखना नहीं बताया है । अभियुक्त -2 के भागने के कार्य की व्याख्या यह स्थापित करने के लिए नहीं की जा सकती कि वह भी अपराध कारित करने में सामान्य आशय साझा करता था । अ. सा. 5 का सबसे अच्छा साक्ष्य अभियुक्त -1 के अपराध को स्थापित करता है।

12. मामले के उस दृष्टिकोण में, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित अभियुक्त -1 को बरी करने का आदेश को अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त -2 को बरी करने के आदेश की पुष्टि की जाती है।

(शब्दशः उद्धृत)

9. हालाँकि, हमारी राय में, अ.सा.-5 के साक्ष्यों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता| अ.सा.-5 के साक्ष्यों में इसे लेकर विरोधाभास हैं की उसमे मलप्पा को घटनास्थल पर देखा था |उसमे अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा , जिसे हमने पहले भी संदर्भित किया है कि कि जब तक उसने अभियुक्तों को देखा, वे देवेंद्रप्पा के घर के बाहर थे । यही अ. सा - 3 और अ. सा.- 6 का भी साक्ष्य है | हम घटना की रात को उसके द्वारा होनप्पा को देखे जाने सम्बन्धी बयानों में विरोधाभास को नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि इसका मामले पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन अपीलार्थी को कब और कहाँ देखा और क्या उसने उसे हमले का कार्य करते देखा, इस संबंध में उसके विरोधाभासी बयान महत्वपूर्ण हैं। अपने मुख्य परीक्षण में, उसने यह बयान दिया कि जब उसने "धप" की आवाज़ सुनकर अपनी आँखें खोलीं, उसने अभियुक्त-1 (यानी अपीलकर्ता) को अपने पति के सिर पर हमला करते हुए देखा, जबकि अभियुक्त-2 (वीरप्पा) उसके बगल में खड़ा था। लेकिन जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, उसने अपनी प्रति-परीक्षा में कहा कि जब तक वह जागी, तब तक चोट लग चुकी थी। उसने दावा किया कि उसने आरोपी को देवेंद्रप्पा के घर के सामने देखा था। उसकी प्रति -परीक्षा में उनके बयान का यह हिस्सा अन्यथा प्रति परीक्षा में दिए गए उनके बाकी बयानों के साथ संगत है। इस परिप्रेक्ष्य में, केवल एक ही निष्कर्ष संभव है और वह यह है कि वह हमले के वास्तविक कृत्य की गवाह नहीं थी। वह मृतक पीड़ित की विधवा है और करुणा के तत्व के साथ विचार किए जाने की हकदार है । लेकिन एक गवाह के रूप में, उसका साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

10. ट्रायल कोर्ट ने अ. सा. 5 के साक्ष्य पर विचार करते हुए पाया था कि उनके घर से हुसैनम्मा और देवेंद्रप्पा के घर दिखाई नहीं देते हैं। उस आधार पर, इसने अ.सा.-3 और अ.सा.-5 के साक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहाः

" जैसा कि पूर्वोक्त देखा गया है, अ.सा.5 स्वीकार करता है कि उसके घर से, हुसैनम्मा और देवेंद्रप्पा के घर दिखाई नहीं देते हैं | अतः उसके घर से अभियुक्त को भागते देखने के संबंध में बयान वह हिस्सा सच नहीं है।

(शब्दशः उद्धृत)

11. यह अपीलार्थी की संभावित दृश्यता के बारे में तथ्यात्मक निष्कर्ष था, जो अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार अपने आरोपी बेटे के साथ भाग रहा था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैराग्राफ 9 में इस बारे में निष्कर्ष दिया, जिसे पहले उद्धृत किया गया है। हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय ने अपील के तहत दिए गए फैसले में साक्ष्य के आधार पर तथ्य के उक्त निष्कर्ष को महत्वहीन "और" अप्रासंगिक कहकर "खारिज करना सही था। हम अ. सा. 5 के विरोधाभासी बयानों के कारण उनके घटना के चश्मदीद होने के बावजूद विश्वास नहीं कर सकते। अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार, अपीलार्थी की संलिप्तता, डंडा की खोज के अलावा, एक ही स्थान पर उपरोक्त तीन गवाहों द्वारा घटना स्थल से भागते समय उसे देखे जाने से प्रतीत होती है। इस बात के प्रमाण कि क्या वह स्थान उन स्थानों से दिखाई देता है जहाँ अ.सा. 3 और 6 उस विशिष्ट समय पर थे, को अप्रासंगिक होने के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है।

12. हम पहले ही जब्ती का गवाह श्रीनिवास (अ.सा.-2), के बयान के उस हिस्से को पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं जिसमें उसने कहा है कि डंडा टूटा नहीं था। अ.सा.-1 ने मौके पर ही बयान दिया है कि घटना स्थल से 20 अप्रैल, 1999 की सुबह पुलिस द्वारा पंचनामा किया गे था । वह डंडा के टूटे हुए टुकड़े को जब्त करने की भी बात नहीं करते हैं। अभियोजन पक्ष के ये दो गवाह अ. सा.-8 द्वारा दिए गए इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं, जो जाँच अधिकारी ने अपनी जाँच में कहा था कि अ. सा.-8 ने लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को जब्त किया था। ऑटोप्सी सर्जन डॉ. वेंकटेश वाई (अ.सा.-7) को वह डंडा नहीं दिखाया गया था | काम से काम उसके साक्ष्य से तो यही इंगित होता है | इस देश के परिवार और किसी भी ठोस सबूत के अभाव में यह प्रदर्शित करते हुए कि जब्त किए गए डंडा का उपयोग मृतक पर हमला करने के लिए किया गया था, अभियोजन पक्ष की कहानी द्वारा अपराध को स्थापित करने की मांग की गई थी, हमले के हथियार की खोज के परिस्थितिजन्य साक्ष्य विफल हो जाते हैं।

13. भले ही अभियोजन पक्ष का बयान कि अ.सा.-3, अ.सा.-5 और अ.सा.-6,घटना के समय वे जिन स्थानों पर थे, ने अपीलार्थी को देवेंद्रप्पा के घर के सामने भागते हुए देखा हो।, उसे स्वीकार कर लिया जाए, हमारे पास जो सबूत बचा होगा वह दो आरोपी व्यक्तियों को भागते हुए देखा जाना होगा। यह साक्ष्य संहिता की धारा

302 के तहत, रेज़ गेस्टे के सिद्धांत को लागू करते हुए अभियुक्तों को दोषसिद्ध करने के लिए बहुत ही हल्का साक्ष्य होगा| साक्ष्य के मूल्यांकन पर तथ्यों के प्रथम न्यायालय ने अपीलार्थी को बरी कर दिया था। हम इसके तर्क में कोई बड़ी कमी नहीं पाते हैं जिसके कारण इस निष्कर्ष को अपराध के निष्कर्ष में बदलने के लिए अपील न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

14. इन कारणों से, हमने आपराधिक अपील सं. 1232/2001 में दिए गए कर्नाटक उच्च न्यायालय के 11 जून, 2008 के फैसले को अपास्त करते हैं जिसके द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए का और सजा का परिणामी आदेश दिया गया था। हम विचारण न्यायालय द्वारा मल्लप्पा (अभियुक्त-1) को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखते हैं। जैसा कि हम अभिलेखों से पाते हैं कि अपीलार्थी की सजा को 29 जनवरी, 2016 को पारित इस न्यायालय के एक आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था और अपीलार्थी की जमानत के लिए आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था, हम जमानत बांड के उन्मोचन का निर्देश देते हैं।

15. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, को निस्तारित किया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस